समाहरणालय, मुंगेर
(जिला योजना कार्यालय)
कार्यादेश

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत श्री विजय कुमार विजय माननीय स0वि0स0, मुंगेर द्वारा वर्ष 2016–17 में मुंगेर विधानसभा अन्तर्गत विभिन्न विभिन्न स्थलो पर फोर आर्म्स सोलर स्ट्रीट लाईट हेतु अनुशंसा की गई है। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक–16.01.2017 को आहूत कय समिति की बैठक में मेसर्स आर्शिवाद अक्षय उर्जा एजेंसी, पुरानी बाजार सब्जी मंडी लखीसराय को निविदा में उपस्थित प्रतिभागियो में न्यूनतम दर पाये जाने के उपरांत सर्वसम्मति से चयन किया गया।

मेसर्स आर्शिवाद अक्षय उर्जा एजेंसी, पुरानी बाजार, सब्जी मंडी लखीसराय को निम्नांकित अनुशंसित स्थलो पर फोर आर्म्स सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क0	योजना का नाम	प्रखण्ड	प्रति यूनिट दर
1	2	3	4
01	शाशपुर दुर्गास्थान के नजदीक	नगर निगम, मुंगेर	172000.00
02	मुफसिल थाना के नजदीक	नगर निगम, मुंगेर	172000.00
03	कष्टहरणी घाट के नजदीक	नगर निगम, मुंगेर	172000.00
04	सोझी घाट के नजदीक	नगर निगम, मुंगेर	172000.00
05	बबुआ घाट के नजदीक	नगर निगम, मुंगेर	172000.00
06	गोशाला मोड़ के नजदीक	नगर निगम, मुंगेर	172000.00
		योग–	**1032000.00**

कुल मो0–1032000.00 (दस लाख बत्तीस हजार) रू0 मात्र।

शर्त्ते–

1. फोर आर्म्स सोलर स्ट्रीट लाईट की आपूर्त्ति माननीय स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित चिन्हित स्थलो पर करनी होगी।
2. फोर आर्म्स सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन के उपरांत राशि का भुगतान स्थल जांच जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर एवं ब्रेडा के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रतिनियुक्त कर्मी के द्वारा किया जायेगा।
3. आपूर्त्तिकर्त्ता को फोर आर्म्स सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन के उपरांत पांच वर्षो तक का रख–रखाव एकरारनामा के शर्त्तो के अनुसार करना होगा।
4. आवश्यक करो की कटौती के बाद ही आपूर्त्तिकर्त्ता को भुगतान किया जायेगा।
5. आपूर्त्तिकर्त्ता 90 (नब्बे) दिनो के अन्दर माननीय सदस्य द्वारा चिन्हित स्थलो पर फोर आर्म्स सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन करना होगा।
6. आपूर्त्ति की जाने वाली सिस्टम फिटिंग/ढुलाई आदि का खर्च अलग से नही दिया जायेगा।
7. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र मुंगेर होगा।
8. आपूर्त्तिकर्त्ता का 10% राशि कटौती कर भुगतान किया जायेगा एवं पांच वर्षो का रख–रखाव अवधि समाप्ति उपरांत ही 10% राशि का भुगतान किया जायेगा।
9. प्रत्येक फोर आर्म्स सोलर स्ट्रीट लाईट के पोल पर योजना एवं अनुशंसा से संबंधित विवरणी भी लगाना होगा।

10. **फोर आर्म्स सोलर** स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन के उपरांत विपत्र के साथ आपूर्तिकर्त्ता को रंगीन **फोटोग्राफ जगह के** नाम के साथ उपलब्ध कराना होगा।

11. **विभागीय मार्गदर्शिका** के आलोक में अधिष्ठापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत राशि का भुगतान सक्षम पदाधिकारी **द्वारा स्थलीय** जांच प्रतिवेदन के आधार पर किया जायेगा।

12. सोलर स्ट्रीट **लाईट का** अधिष्ठापन सरकारी भूमि पर ही कराया जाय, किसी भी परिस्थिति में निजी/रैयती जमीन पर नही लगाया जाय। सोलर स्ट्रीट लगाने के क्रम में किसी तरह के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में कार्य को स्थगित करते हुए प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

13. संबंधित विधान मंडल सदस्य से योजनाओं के षिलान्यास/उद्घाटन में विभागीय निदेषो का अनुपालन करेंगे।

ह०

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 104 / जि०यो०, दिनांक 22/2/17

प्रतिलिपि— मेसर्स आर्शिवाद अक्षय उर्जा एजेंसी, पुरानी बाजार सब्जी मंडी लखीसराय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि— संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि— श्री विजय कुमार विजय, माननीय स०वि०स०, मुंगेर विधानसभा क्षेत्र को सादर सूचनार्थ।

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।